न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 171/16 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2016/00361

उनवान

1. बाबूलाल पुत्र श्री गिर्राज जाति बघेल(गडरिया) निवासी गॉव चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. इन्द्रवती पत्नी श्री केशव ज़ाति गडरिया (बघेल) निवासी चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर।
2. हरभेजी पत्नी ठकुरी जाति गडरिया (बघेल) निवासी चक हथकोली हाल आबाद 6 पोखर तहसील किरावली आगरा (उ0प्र0)

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर दि0 09.09.2016 मि.नं. 387/08 उनवानी बाबूलाल बनाम इन्द्रवती।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक–08.01.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.16 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी साविक खसरा नम्बर 615 रकवा 6 बीघा जिसके हाल बन्दोबस्त खसरा नम्बर 999/0.20, 1000/0.15, 1006/0.65 किता 3 रकवा 100 एयर बना है

राजस्व अपील प्राधिकारी

के प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 2 हरभेजी के पति ठकुरी का स्वर्गवास हो गया। हरभेजी के कोई संतान नहीं थी। अतः हरभेजी विरासत के आधार पर खातेदार अंकन हुई और अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति को सन् 1985 के विक्रय कर अपने माता पिता के पास चली गई। वादी अपीलाण्ट के नाम विवादित आराजी का दाखिला खारिज भी तस्दीक हो गया। परन्तु तहसील भरतपुर में बन्दोबस्त का काम हुआ जिसमें बन्दोबस्त के कर्मचारियों ने गलती से खसरा नंबर 815 रकबा 8 बीघा से बनाये हाल खसरा नम्बर 1008/085 में विक्रेता हरभेजी का नाम 1/2 पर हिस्सा 15/71 अंकन कर दिया। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 01 ने उक्त गलत इन्द्राजों का लाभ लेते हुये, प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 हरभेजी को बहला फुसलाकर एक वयनामा कागजी जो मात्र इन्द्राज को बदलने की नीयत से कराया है वह वादी अपीलाण्ट के प्रति वातिल व बेअसर है। इस प्रकार वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1008/85 पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। रैस्पो0 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहें। अतः उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया कि जब रैस्पो0 ने अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया है, तो इससे बेहतर साक्ष्य और कोई नहीं हो सकती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को दावा वादी खारिज करने के बजाय डिक्री किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रैस्पो0 ने विवादित आराजी का वयनामा वादी अपीलाण्ट को किये जाने के तथ्य को भी स्वीकार किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी अपीलाण्ट खारिज किये जाने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। हम पाते हैं कि विवादित आराजी बाबत् दो वयनामा एक अपीलाण्ट के पक्ष में एवं दूसरा रैस्पो0 संख्या 01 इन्द्रवती के पक्ष में रैस्पो0 संख्या 02 द्वारा कराये गये हैं एवं पश्चातवर्ती वयनामा जो हरभेजी द्वारा इन्द्रवती के पक्ष में कराया गया है। उस बाबत् रैस्पो0 संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट के पक्ष में राजीनामा भी प्रस्तुत किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपने पक्ष में हुये वयनामा को गलत बताया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इससे अधिक कोई साक्ष्य नहीं थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त राजीनामा का अपीलाधीन आदेश में ना तो कोई विवेचन ही किया है एवं ना ही उसे रिकार्ड पर ही लिया गया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त राजीनामा पर उभयपक्ष को सुनवाई की जाकर प्रकरण में राजीनामे के प्रभाव की विवेचना किया जाना आवश्यक था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी अपीलाण्ट सरसरी तौर पर खारिज करना न्यायोचित नहीं है। लिहाजा न्यायहित में हम प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2016 अपास्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को समग्र साक्ष्य प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का अवसर देते हुये, विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.02.2024 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 08.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/01/2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर